रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2015/चैत्र 4, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 227

No. 36] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2015/CHAITRA 4, 1937 [N.C.T.D. No. 227

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य संरक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2015

सं.फा. 01(3)/डीओ–1/2012/10503–10521.–जबकि, गुटका, पान मसाला सुगन्धित/सुवासित तम्बाकू, खर्रा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तम्बाकू है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ग्राहकों के स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं और ये आने वाली भावी पीढ़ियों की जैविक संरचना में परिवर्तन करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते हैं;

जबकि, तम्बाकू, चाहे सुस्वाद, सुगन्धित हो या अन्य घटकों जैसे निकोटीन, भारी धातु, एन्टी–केकिंग एजेंट (घटकों के रूप में विशेष रूप से अनुमत्त सीमा तक) चांदी के वर्क बाइंडर्स की सुस्वाद सुगन्ध, सुगन्ध, प्रतिबंधित रसायन के साथ मिश्रित किया गया हो या इन घटकों में से कोई एक (उक्त घटक इसके बाद सामूहिक रूप से या अलग रूप से जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो, उक्त व्यसन के रूप में संदर्भित है) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 के खंड (ञ) के अन्तर्गत "खाद्य पदार्थ" है;

जबकि, केन्द्र सरकार ने तम्बाकू और निकोटिन वाले उत्पादों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (निशेद्य तथा बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम, 2.3.4 तथा खाद्य संरक्षा मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन), विनियम, 2011 के विनियमों 3.1.7 के अन्तर्गत एंटी केकिंग एजेंट (विस्तारित अनुमति से परे) में प्रतिबंधित किया है;

जबकि, उक्त खाद्य पदार्थों का उपभोग मानव स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए हानिकारक होगा और जबकि इन खाद्य पदार्थों को बिना प्रतिबन्ध के अनुमत किया जाता है तो ऐसा करना वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की तंदुरूस्ती से समझौता होगा ;

जबकि, कानून के अधीन तथा जनस्वास्थ्य के हित में ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु आयुक्त, खाद्य संरक्षा उत्तरदायी है और जबकि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2)(क) के अन्तर्गत यह आदेश करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत है;

अब इसलिए, खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त इन भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी, आयुक्त (खाद्य संरक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए तम्बाकू के विनिर्माण, भंडार वितरण या बिक्री का जन स्वास्थ्य के हित में प्रतिबन्धित करता हूँ जो उक्त व्यवसन में किसी के साथ या तो सुगन्धित, सुवासित या मिश्रित की गई हो और चाहे गुटका, पान मसाला, सुगंधित, सुवासित तम्बाकू या खर्र के नाम से या रूप में हो या अन्यथा किसी भी नाम से पुकारा जाए चाहे यह पैकेज में हो या बिना पैकेज के हो तथा/अथवा एक उत्पाद के रूप में बेची गई हो, अथवा पैकेज में अलग उत्पादों के रूप में बेची या वितरित इस प्रकार से की जाए ताकि सेवन करने के लिए उपभोक्ता द्वारा सुविधापूर्वक मिलाया जा सके।

के.के. जिन्दल, आयुक्त(खाद्य संरक्षा)